

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -1005/2022

अनवान : -

1. महेन्द्रसिंह पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. मोहनी पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ।
2. राजेन्द्र पुत्र बनवारी सहारण जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला
हनुमानगढ।
3. शिशपाल पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
4. साहबराम पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन 3 बी.पी.एम. भौमपुरा तहसील व जिला
हनुमानगढ
5. सावत्री पुत्री बनवारीलाल पत्नी हेमराज जाति जाट साकिन मायला तहसील पल्लु जिला
हनुमानगढ।
6. पवन कुमार पुत्र गुडी/कृष्णलाल जाति जाट साकिन मायला तहसील पल्लु जिला
हनुमानगढ।
7. सुनिल कुमार पुत्र गुडी/कृष्णलाल जाति जाट साकिन मायला तहसील पल्लु जिला
हनुमानगढ।
8. मंजु पुत्री गुडी/कृष्णलाल पत्नी जयसिंह जाति जाट साकिन गन्धेली तहसील रावतसर
जिला हनुमानगढ।
9. रामकलीदेवी पुत्री बनवारीलाल पत्नी जगदीशचन्द्र जाति जाट साकिन आशाखेडा तहसील
व जिला सिरसा।
10. शांतीदेवी पत्नी बनवारी जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
11. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान

काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री बलवंतराम छिम्पा अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 9/5/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह
वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश
किया गया है कि वादी के पिता मृतक बनवारीलाल के नाम से रोही मौजा ढाणी लालखां पटवार
हल्का देईदास के खाता स0 64 के खसरा स0 157 की 0.5690 है0 खसरा स0 172 की 3.7310
है0 खसरा स0 173 की 4.2490 है0 कुल 8.5490 है0 बरानी प्रथम खाते में मुश्तर्का
खाता में 7131/42745 हिस्सा में व इसी रोही मौजा ढाणी लालखां के पटवार हल्का देईदास के



2/8

खाता स० 71 के खसरा स० 10 की 4.3880 है० बारानी प्रथम खातेदारी भूमि में मुश्तर्का खाता में 1/6 हिस्सा में व रोही मौजा भुकरका के खाता स० 344 के खसरा स० 34 की 11.0020 है० व खसरा स० 36 की 3.8830 है० कुल 14.8850 है० बारानी प्रथम खातेदारी भूमि में मुश्तर्का खाता में 1/6 हिस्सा में व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ़ के खाता स० 29 के प० न० 194/394 मु. न. 28 के किला न० 6 की 0.2530 है० 14 ता 17 की 1.012 है० 24/2 की 0.2020 है० 25/2 की 0.202 है० = 1.6690 है० कमाण्ड प० न० 195/394 मु. न. 27 के किला न० 10/2 की 0.1020 है० कुल 1.7710 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज कागजात है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बिशनाराम के नाम से दर्ज कागजात थी बाद वफात बिशनाराम के उक्त भूमि बतौर सयुक्त हिन्दुकर्ता खानदान के वादी के पिता बनवारीलाल के नाम से दर्ज हुई इसलिये उक्त भूमि पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी स० 1 ता 9 का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वादी का पिता बनवारीलाल व वादी का भाई कृष्ण कुमार व बहीन गुडी फौत हो चुके हैं बनवारीलाल के जायज व कानूनी वारीसान प्रतिवादी 1 ता 10 है तथा इसलिये उक्त बनवारीलाल की भूमि में वादी व प्रतिवादी स० 1 ता 10 का हक व हिस्सा निहित है इसलिये उक्त भूमि का वादी 1/9 व प्रतिवादी स० 1 ता 5 ब०ही०ब० 5/9 व प्रतिवादी स० 6 ता 8 ब०ही०ब० 1/9 व प्रतिवादी स० 9 व 10 ब०ही०ब० 2/9 हक व हिस्सा के मुश्तर्का खातेदार काश्तकार हुए। प्रतिवादी स० 5 ता 10 ने अपने पिता/नाना/पति की भूमि में अपना समस्त हक व हिस्सा पूर्व में त्याग दिया था तथा वे अपना हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं तथा वे अपने अपने ससुराल/ अपने स्थान पर खुश हैं इसलिये उनके द्वारा हक व हिस्सा के त्याग के बाद बनवारीलाल की उक्त भूमि के वादी व प्रतिवादी स० 1 ता 4 ब.ही.ब. के मुश्तर्का खातेदार काश्तकार हुए।

उपरोक्त वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादी स० 1 ता 4 ने अच्छी माडी के हिसाब से व काश्त सुविधानुसार बाहमी बंटवारा अग्रलिखितानुसार काफी अरसा पूर्व कर लिया था तथा उसी अनुसार कब्जा हासिल कर लिया था तथा वे उसी अनुसार खातेदार काश्तकार हुये

वादी महेन्द्रसिंह व प्रतिवादी स० 1 मोहनी प्रतिवादी स० 2 राजेन्द्र प्रतिवादी स० 3 शिशपाल प्रतिवादी स० 4 साहबराम के ब०ही०ब० में हक व हिस्सा में आई हुई भूमि:- रोही मौजा ढाणी लालखां पटवार हल्का देईदास के खाता स० 64 के खसरा स० 157 की 0.5690 है० खसरा स० 172 की 3.7310 है० खसरा स० 173 की 4.2490 है० कुल 8.5490 है० बारानी प्रथम खातेदारी भूमि में मुश्तर्का खाता की वादी के पिता बनवारीलाल की दर्ज 7131/42745 हिस्सा की भूमि व इसी रोही मौजा ढाणी लालखां के पटवार हल्का देईदास के खाता स० 71 के खसरा स० 10 की 4.3880 है० बारानी प्रथम खातेदारी भूमि में मुश्तर्का खाता में वादी के पिता बनवारीलाल की दर्ज 1/6 हिस्सा की भूमि व रोही मौजा भुकरका के खाता स० 344 के खसरा स० 34 की 11.0020 है० व खसरा स० 36 की 3.8830 है० कुल 14.8850 है० बारानी

प्रथम खातेदारी भूमि में मुश्तर्का खाता में वादी के पिता बनवारीलाल की दर्ज 1/6 हिस्सा की भूमि।

वादी महेन्द्रसिंह के हक व हिस्सा में आई हुई भूमि:— चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ़ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 17 की 0.152 है0 दक्षिणी पासा (पश्चिम पासा पर अपनी भूमि के चिपती मोहनी की 0.008 है0 भूमि छोड़कर) 24/2 की 0.192 है0 पूर्वी पासा (पश्चिम पासा पर अपनी भूमि के चिपती मोहनी की 0.010 है0 भूमि छोड़कर) कुल 0.344 है0 भूमि।

प्रतिवादी स0 1 मोहनी के हक व हिस्सा में आई हुई भूमि:— चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ़ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 14 की 0.253 है0 17 की 0.093 है0 उत्तरी पासा 17 की ही 0.008 है0 पश्चिम पासा वादी महेन्द्रसिंह की भूमि की चिपती 24/2 की 0.010 है0 पश्चिम पासा कुल 0.364 है0 भूमि।

प्रतिवादी स0 2 राजेन्द्र के हक व हिस्सा में आई हुई भूमि:— चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ़ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 6 की 0.240 है0 उत्तरी पासा प0 न0 195/394 मु. न. 27 के किला न0 10/2 की 0.102 है0 कुल 0.342 है0 भूमि।

प्रतिवादी स0 3 शिशपाल के हक व हिस्सा में आई हुई भूमि:— चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ़ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 6 की 0.012 है0 दक्षिण पासा (दक्षिणी पश्चिमी कोणा की 0.001 है0 भूमि छोड़कर) 15 की 0.240 है0 पूर्वी पासा (पश्चिम पासा की शिशपाल व राजेन्द्र की भूमि छोड़कर 16 की 0.090 है0 उत्तरी पासा (पश्चिम पासा की शिशपाल व राजेन्द्र की भूमि छोड़कर) कुल 0.342 है0 भूमि।

प्रतिवादी स0 4 साहबराम के हक व हिस्सा में आई हुई भूमि:— चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ़ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 16 के की 0.150 है0 दक्षिण पासा (पश्चिम पासा की शिशपाल व राजेन्द्र की भूमि की छोड़कर) 25/2 की 0.192 है0 पूर्वी (पश्चिमी पासा पर शिशपाल व राजेन्द्र की भूमि छोड़कर) कुल 0.342 है0 भूमि।

प्रतिवादी स0 2 राजेन्द्र व प्रतिवादी स0 3 शिशपाल के हक व हिस्सा में ब0ही0ब0 में आई हुई भूमि:— चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ़ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 6 की 0.001 है0 दक्षिणी पश्चिमी कोणा 15 की 0.013 है0 पश्चिमी पासा की 16 की 0.013 है0 पश्चिमी पासा की 25/2 की 0.010 है0 पश्चिमी पासा की कुल 0.037 है0 भूमि। यह कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के कब्जा काश्त में अलग अलग होने के बावजूद भी भूमि नाम दर्ज नहीं होने से तथा समस्त भूमि वादी के पिता मृतक बनवारीलाल के नाम दर्ज होने से वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 4 के खातेदारी अधिकारो पर विपरित असर पडता है तथा ना पुरा होने वाला नुकशान होता है इसलिये वादी बंटवारानुसार भूमि कि घोषणा करवाने का व इसीनुसार खाता तकसीम व रकमराज अलग अलग कायम

करवाने का अधिकारी है। यही बिनाय मुखास्मत अर्जीदावा है। यह कि उक्त भूमि मृतक बनवारीलाल के नाम रहने से तथा भूमि अलग अलग कब्जा काश्त में होने के बावजूद भी भूमि नाम दर्ज नहीं होने से भूमि को मनमुताबिक काबिल काश्त बना नहीं पाते हैं तथा अनैक सरकारी योजनाओं से वंचित होते हैं इसलिये वादी उक्तानुसार भूमि की घोषणा करवाने का व इसीनुसार खाता तकसीम करवाने का हकदार व दावेदार है।

वादी ने प्रतिवादी स० 5 ता 10 को कहा कि वे उक्त भूमि में अपना हक व हिस्सा नहीं माने तथा भूमि को उपरोक्त बंटवारानुसार भूमि को वादी व प्रतिवादी स० 1 ता 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तथा प्रतिवादी स० 1 ता 4 को कहा की उक्त बंटवारा स्वीकार कर लेवे लेकिन उन्होंने ऐसा कहना मानने से कतई इन्कार हो गये पस यही बिनाय मुखास्मत दावा है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 व 10 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनाम/पारिवारिक बंटवारनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अर्जीदावा अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी सं० 11 व 12 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029-2038 रोही मौजा ढाणी लालखां खाता स० 79 प्रदर्श-1, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029-2038 रोही मौजा ढाणी भूकरका खाता स० 410 प्रदर्श-2, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029-2038 रोही मौजा ढाणी भूकरका खाता स० 132 प्रदर्श-3, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029-2038 रोही मौजा ढाणी लालखां खाता स० 99 प्रदर्श-4, फोटोप्रति बाबत वारिसनामा ग्राम पंचायत चाईया प्रदर्श-5, वर्तमान जमाबंदी ढाणीलाल खां खाता स० 64/64 प्रदर्श-5, वर्तमान जमाबंदी ढाणी लालखां खाता स० 71/71 प्रदर्श-6, जमाबंदी रोही मौजा भूकरका खाता स० 44/354 प्रदर्श-7, जमाबंदी रोही मौजा 3 बीपीएम खाता स० 29/27 प्रदर्श-8, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक बनवारी लाल प्रदर्श-9, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक कृष्ण कुमार प्रदर्श-10, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक गुडडी प्रदर्श-11 तथा जमाबंदी 3 बीपीएम प्रदर्श-12 आदि प्रदर्शित करवाए।

प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण स० 1 ता 10 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण स० 1 ता 10 द्वारा इकबाल/आपसी सहमति/राजीनाम पेश हो चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लालखां पटवार हल्का देईदास के खाता स० 64 के खसरा स० 157 की 0.5690 है०

खसरा स० 172 की 3.7310 है० खसरा स० 173 की 4.2490 है० कुल 8.5490 है० बारानी प्रथम खातेदारी भूमि में मुश्तर्का खाता में 7131/42745 हिस्सा में व इसी रोही मौजा ढाणी लालखां के पटवार हल्का देईदास के खाता स० 71 के खसरा स० 10 की 4.3880 है० बारानी प्रथम खातेदारी भूमि में मुश्तर्का खाता में 1/6 हिस्सा में व रोही मौजा भुकरका के खाता स० 344 के खसरा स० 34 की 11.0020 है० व खसरा स० 36 की 3.8830 है० कुल 14.8850 है० बारानी प्रथम खातेदारी भूमि में मुश्तर्का खाता में 1/6 हिस्सा में व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ़ के खाता स० 29 के प० न० 194/394 मु. न. 28 के किला न० 6 की 0.2530 है० 14 ता 17 की 1.012 है० 24/2 की 0.2020 है० 25/2 की 0.202 है० = 1.6690 है० कमाण्ड प० न० 195/394 मु. न. 27 के किला न० 10/2 की 0.1020 है० कुल 1.7710 है० कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक बनवारीलाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं० 5 ता 10 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स० 1 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादी स० 1 ता 10 ने वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए इकबाल/राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स० 1 ता 10 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां पटवार हल्का देईदास के खसरा स० 157 की 0.5690 है० खसरा स० 172 की 3.7310 है० खसरा स० 173 की 4.2490 है० कुल 8.5490 है० बारानी प्रथम खातेदारी भूमि के मुश्तर्का खाता में मृतक बनवारीलाल की दर्ज 7131/42745 हिस्सा के तथा रोही मौजा ढाणी लालखां के पटवार हल्का देईदास के खसरा स० 10 की 4.3880 है० बारानी प्रथम खातेदारी भूमि में मुश्तरका खाता में मृतक बनवारीलाल की दर्ज 1/6 हिस्सा व रोही मौजा भुकरका के खसरा स० 34 की 11.0020 है० व खसरा स० 36 की 3.8830 है० कुल 14.8850 है० बारानी प्रथम खातेदारी भूमि के मुश्तर्का खाता में मृतक बनवारीलाल की दर्ज 1/6 हिस्सा के भूमि के वादी महेन्द्रसिंह व प्रतिवादी स० 1 मोहनी प्रतिवादी स० 2 राजेन्द्र प्रतिवादी स० 3 शिशपाल प्रतिवादी स० 4 साहबराम ब०ही०ब० के मुश्तरका खातेदार घोषित किये जाते हैं व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ़ के प० न० 194/394 मु. न. 28 के किला न० 17 की 0.152 है० दक्षिणी पासा (पश्चिम पासा पर अपनी भूमि के चिपती मोहनी की 0.008 है० भूमि छोड़कर) 24/2 की 0.192 है० पूर्वी पासा (पश्चिम पासा पर अपनी भूमि के चिपती मोहनी की 0.010 है० भूमि छोड़कर) कुल 0.344 है० भूमि का वादी महेन्द्रसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ़ के प० न० 194/394 मु. न. 28 के किला न० 14 की 0.253 है० 17 की 0.093 है० उतरी पासा 17 की ही 0.008 है० पश्चिम पासा वादी महेन्द्रसिंह की भूमि की चिपती 24/2 की 0.010 है० पश्चिम पासा कुल 0.364 है० भूमि का प्रतिवादी स० 1 मोहनी को खातेदार काश्तकार

घोषित किया जाता है व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 6 की 0.240 है0 उतरी पासा प0 न0 195/394 मु. न. 27 के किला न0 10/2 की 0.102 है0 कुल 0.342 है0 भुमि का प्रतिवादी 2 राजेन्द्र का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 6 की 0.012 है0 दक्षिण पासा (दक्षिणी पश्चिमी कोणा की 0.001 है0 भुमि छोडकर) 15 की 0.240 है0 पुर्वी पासा (पश्चिम पासा की शिशपाल व राजेन्द्र की भुमि छोडकर 16 की 0.090 है0 उतरी पासा (पश्चिम पासा की शिशपाल व राजेन्द्र की भुमि छोडकर) कुल 0.342 है0 भुमि का प्रतिवादी स0 3 शिशपाल को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 16 के की 0.150 है0 दक्षिण पासा (पश्चिम पासा की शिशपाल व राजेन्द्र की भुमि की छोडकर) 25/2 की 0.192 है0 पुर्वी (पश्चिमी पासा पर शिशपाल व राजेन्द्र की भुमि छोडकर) कुल 0.342 है0 भुमि का प्रतिवादी स0 4 साहबराम को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 6 की 0.001 है0 दक्षिणी पश्चिमी कोणा 15 की 0.013 है0 पश्चिमी पासा की 16 की 0.013 है0 पश्चिमी पासा की 25/2 की 0.010 है0 पश्चिमी पासा की कुल 0.037 है0 भुमि के प्रतिवादी स0 2 राजेन्द्र व 3 शिशपाल ब0ही0ब0 के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो नजरीय नक्शा मुताबिक उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें एवं उक्त भूमि में मृतक बनवारीलाल का नाम कलमजन किया जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक...31/5/23...को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-देईदास

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या -1005/2022

अनवान : -

1. महेन्द्रसिंह पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादी

बनाम

1. मोहनी पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट साकिन ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. राजेन्द्र पुत्र बनवारी सहारण जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ ।
3. शिशपाल पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ
4. साहबराम पुत्र बनवारी जाति जाट साकिन 3 बी.पी.एम. भौमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ
5. सावत्री पुत्री बनवारीलाल पत्नी हेमराज जाति जाट साकिन मायला तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ ।
6. पवन कुमार पुत्र गुडी / कृष्णलाल जाति जाट साकिन मायला तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ ।
7. सुनिल कुमार पुत्र गुडी / कृष्णलाल जाति जाट साकिन मायला तहसील पल्लु जिला हनुमानगढ ।
8. मंजु पुत्री / कृष्णलाल पत्नी जयसिंह जाति जाट साकिन गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ ।
9. रामकलीदेवी पुत्री बनवारीलाल पत्नी जगदीशचन्द्र जाति जाट साकिन आशाखेडा तहसील व जिला सिरसा ।
10. शांतीदेवी पत्नी बनवारी जाति जाट साकिन चाईया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ ।
11. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
12. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ ।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1005 सन 2022

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं राजीनामा तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष/राजीनाम डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां पटवार हल्का देईदास के खसरा स0 157 की 0.5690 है0 खसरा स0 172 की 3.7310 है0 खसरा स0 173 की 4.2490 है0 कुल 8.5490 है0 बारानी प्रथम खातेदारी भुमि के मुश्तर्का खाता में मृतक बनवारीलाल की दर्ज 7131/42745 हिस्सा तथा इसी रोही मौजा ढाणी लालखां के पटवार हल्का देईदास के खसरा स0 10 की 4.3880 है0 बारानी प्रथम खातेदारी भुमि मे मुश्तरका खाता में मृतक बनवारीलाल की दर्ज 1/6 हिस्सा भूमि व रोही मौजा भुकरका के खसरा स0 34 की 11.0020 है0 भूमि व खसरा स0 36 की 3.8830 है0 कुल 14.8850 है0 बारानी प्रथम खातेदारी भुमि के मुश्तर्का खाता में मृतक बनवारीलाल की दर्ज 1/6 हिस्सा भुमि का वादी महेन्द्रसिंह व प्रतिवादी स0 1 मोहनी, प्रतिवादी स0 2 राजेन्द्र, प्रतिवादी स0 3 शिशपाल, प्रतिवादी स0 4 साहबराम ब0ही0ब0 के मुश्तरका खातेदार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

काश्तकार व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 17 की 0.152 है0 दक्षिणी पासा (पश्चिम पासा पर अपनी भुमि के चिपती मोहनी की 0.008 है0 भुमि छोडकर) 24/2 की 0.192 है0 पुर्वी पासा (पश्चिम पासा पर अपनी भुमि के चिपती मोहनी की 0.010 है0 भुमि छोडकर) कुल 0.344 है0 भुमि का वादी महेन्द्रसिंह व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 14 की 0.253 है0 17 की 0.093 है0 उतरी पासा 17 की ही 0.008 है0 पश्चिम पासा वादी महेन्द्रसिंह की भुमि की चिपती 24/2 की 0.010 है0 पश्चिम पासा कुल 0.364 है0 भुमि का प्रतिवादी स0 1 मोहनी व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 6 की 0.240 है0 उतरी पासा प0 न0 195/394 मु. न. 27 के किला न0 10/2 की 0.102 है0 कुल 0.342 है0 भुमि का प्रतिवादी 2 राजेन्द्र व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 6 की 0.012 है0 दक्षिण पासा (दक्षिणी पश्चिमी कोणा की 0.001 है0 भुमि छोडकर) 15 की 0.240 है0 पुर्वी पासा (पश्चिम पासा की शिशपाल व राजेन्द्र की भुमि छोडकर 16 की 0.090 है0 उतरी पासा (पश्चिम पासा की शिशपाल व राजेन्द्र की भुमि छोडकर) कुल 0.342 है0 भुमि का प्रतिवादी स0 3 शिशपाल व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 16 की 0.150 है0 दक्षिण पासा (पश्चिम पासा की शिशपाल व राजेन्द्र की भुमि की छोडकर) 25/2 की 0.192 है0 पुर्वी (पश्चिमी पासा पर शिशपाल व राजेन्द्र की भुमि छोडकर) कुल 0.342 है0 भुमि का प्रतिवादी स0 4 साहबराम खातेदार काश्तकार व चक 3 बी.पी.एम. पटवार हल्का भौमपुरा तहसील हनुमानगढ के प0 न0 194/394 मु. न. 28 के किला न0 6 की 0.001 है0 दक्षिणी पश्चिमी कोणा 15 की 0.013 है0 पश्चिमी पासा की 16 की 0.013 है0 पश्चिमी पासा की 25/2 की 0.010 है0 पश्चिमी पासा की कुल 0.037 है0 भुमि के प्रतिवादी स0 2 राजेन्द्र व 3 शिशपाल ब0ही0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो नजरीय नक्शा मुताबिक उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं उक्त भूमि में मृतक बनवारीलाल का नाम कलमजन किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-देईदास